न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 168/2023

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

साधुराम पुत्र श्री हमीराराम जाति नायक निवासी– वीपीओ दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—— वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

—— प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राज.स्व.) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित– अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बंसल (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 29.10.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी के दादा श्री भीखराम पुत्र श्री लाधूराम नाम से वाके चक 8 सी बड़ी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी, भू अभिलेख निरीक्षक शिवपुर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 73/87 का मुरब्बा नं. 36 की कुल तादादी 6.326 हैक्टेयर नहरी रकबा अलाटमेन्ट है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है। वादी के दादा भीखाराम पुत्र श्री लाधुराम की सनद जारी करने से पूर्व मृत्यु हो चुकी है तथा वादी के पिता हमीराराम पुत्र श्री भीखाराम व ईशरराम पुत्र भीखाराम ने सनद जारी करवाई थी तथा वादी के पिता हमीराराम की दिनांक 20.01.2015 को मृत्यु हो चुकी है। वादी के दादा के कृषि भूमि अलाटमेंन्ट रिकोर्ड में वादी के पिता का नाम घरेलू नाम रामू अंकित है जो कि वादी के पिता का घरेलू नाम है घर पर वादी के पिता को रामू घरेलू नाम से पुकारते थे जबकि वादी के पिता का असली नाम हमीराराम था। गैर खातेदारी जमाबंदी रिकोर्ड दिनांक 10.10.2012 में वादी के पिता का नाम हमीराराम अंकित है तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2012 को खातेदारी रकबा रहन बाबत में वादी के पिता हमीराराम व ईशरराम ने प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें पटवारी ने गैर खातेदारी रकबा में वादी के पिता का नाम हमीराराम पुत्र भीखाराम माना गया तथा दिनांक 14.09.2012 को जारी सनद रिकोर्ड में अलाटमेन्ट के आधार पर ही वादी के पिता का नाम रामू दर्ज किया गया जबकि वादी के पिता की वोटर लिस्ट 1980 के कम संख्या 430 में हमीराराम नाम अंकित है। वादी के पिता का सही हमीराराम है तथा वादी के पिता के अन्य दस्तावेजो में भी नाम हमीराराम अंकित है। जिसकी फोटो प्रति सलग्न वाद पत्र है। वादी के पिता का सही नाम हमीराराम है लेकिन वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामू दर्ज हो गया है। वादी का नाम वोटर लिस्ट व अन्य दस्तावेजो में नाम हमीराराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामू अंकित है जमाबंदी व पहचान के दस्तावेजों में नाम अलग–अलग होने के कारण मिलान नही होने के कारण वादी भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का वादी लाभ नही उठा पा रहा है तथा वादी को विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी के पिता का राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती कर रामू के स्थान पर हमीराराम किया जाकर खातेदारी दर्ज किया जावे। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को कई बार नाम दुरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन दिनांक 03.07.2023 को प्रतिवादी द्वारा वादी को यह हिदायत दी गई कि आप न्यायालय से दुरूस्ती आदेश लेकर आओ। यही वाद कारण है। यह कि वाद पत्र श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार का है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

92A

विशेष विवरण

तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। लिहाजा दावा, वादी पेश करके अर्ज है कि फरमाया जावे।

(क) वादी के पिता का नाम चक 8 सी बड़ी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी, भू अभिलेख निरीक्षक शिवपुर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 73/87 का मुरब्बा नं. 36 की कुल तादादी 6.326 हैक्टेयर नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में रामू की जगह हमीराराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे और हमीराराम के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्यानुसार पटवारी हलका फर्द मौका ग्रामवासियें के बताये अनुसार भीखाराम के दो पुत्र 1 ईशर राम 2. हमीरा राम है। जबकि ईशर राम के पुत्र लालचंद के अनुसार भीखाराम के तीन पुत्र 1. रामूराम 2. ईशरराम 3. हमीराराम बताया गया। बताया गया कि रामूराम की बाल्य अवस्था में ही मृत्यु दिनांक 27.11.1956 को हो गयी थी, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। रिपोर्ट पटवारी हल्का हमीरा राम अथवा रामूराम दोनों एक ही व्यक्ति सम्बन्धी नाम के बारे में जानकारी नहीं होना बताया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील वादी की मुख्य बहस यह रही कि वादी के पिता का नाम चक 8 सी बड़ी, पटवार हल्का दुल्लापुरकेरी भू अभिलेख निरीक्षक शिवपुर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 73/87 का मुरब्बा नं 36 की कुल तादादी 6.326 हैक्टेयर नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में रामू की जगह हमीराराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे तथा हमीराराम के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में वादी साधुराम का आधार कार्ड की प्रति, हमीरा राम का मृत्यु प्रमाणि पत्र की प्रति, वारिसनामा हमीरा राम, इलेक्टर नकल विधानसभा 1980, नकल जमाबंदी गैरखातेदार जमा बंदी, अलॉटमेंट दस्तावेज, सनद दिनांक 14.09.2012 की प्रतियों का अवलोकन किया गया।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार रामूराम व हमीराराम एक व्यक्ति न होकर अलग अलग व्यक्ति होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—::आदेश ::—

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29.10.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवम् सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner